भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2199
उत्तर देने की तारीख : 12.02.2026

एमएसएमई को हुआ वित्तीय नुकसान

2199. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43ख (ज) के अंतर्गत 45 दिनों के भीतर अनिवार्य भुगतान प्रावधान लागू होने के बाद देश की बड़ी कंपनियां पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को दिए गए क्रय आदेशों की संख्या में कमी कर रही हैं या पहले से दिए गए क्रय आदेशों को रद्द कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने इसके परिणामस्वरूप एमएसएमई इकाइयों को हो रहे कारोबार और वित्तीय घाटे का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस मामले में वित्त मंत्रालय से परामर्श किया है और उक्त उपबंध के कार्यान्वयन में कोई संशोधन करने या अनुपालन के लिए समय-सीमा बढ़ाने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एमएसएमई समाधान पोर्टल पर अब तक कितने प्रतिशत मामलों का समाधान किया जा चुका है और वर्तमान में लंबित बकाया भुगतान राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वित्त अधिनियम 2023, खंड (ज) को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43ख में शामिल किया गया था। इस खंड में यह प्रावधान है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में निर्दिष्ट समय सीमा के बाद अधिक समय तक किसी सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) को देय कोई भी राशि, जो 45 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है, केवल वास्तविक भुगतान पर ही कटौती के रूप में स्वीकार की जाएगी।

एमएसएमई संघों सहित कई हितधारकों, जो विलंबित भुगतान, नकदी प्रवाह और वित्तीय बाधाओं के कारण व्यवसाय बंद होने के जोखिम के मुद्दे से जूझ रहे थे, उन्होंने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए हस्तक्षेप का समर्थन किया है, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लाभकारी है।

मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एमएसएमई और एमएसएमई उद्योग संघों सहित हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से एमएसएमई द्वारा सामना किए जाने वाले ऋण प्रवाह और भुगतान में देरी से संबंधित मुद्दों की लगातार निगरानी कर रहा है। इस प्रावधान का उद्देश्य भुगतान अनुशासन को सुदृढ़ करना और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लिक्विडिटी में सुधार करना है। धारा 43ख(ज) के कार्यान्वयन से जुड़ा कोई अलग मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) : एमएसएमई समाधान पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अब तक दर्ज किए गए कुल मामलों में से लगभग 61.50% मामलों का निपटान किया जा चुका है। राज्यों और एमएसईएफसी के पास वर्तमान में लंबित बकाया भुगतान राशि 14209.82 करोड़ रुपए है। बकाया राशि का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-क में है।

अनुबंध- क

समाधान पोर्टल के अनुसार दिनांक 30.10.2017 से दिनांक 09.02.2026 तक वर्तमान में लंबित राशि* का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण		
क्र. सं.	राज्य	राशि (करोड़ रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	241.22
2	असम	58.83
3	बिहार	57.8
4	चंडीगढ़	49.92
5	छत्तीसगढ़	140.81
6	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	6.08
7	दिल्ली	2893.69
8	गोवा	81.02
9	गुजरात	1194.33
10	हरियाणा	762.58
11	जम्मू और कश्मीर	117.83
12	झारखंड	154.13
13	कर्नाटक	93.47
14	केरल	151.18
15	मध्य प्रदेश	70.84
16	महाराष्ट्र	2717.85
17	ओडिशा	184.91
18	पुडुचेरी	12.2
19	पंजाब	486.47
20	राजस्थान	991.66
21	सिक्किम	6.86
22	तमिलनाडु	795.68
23	तेलंगाना	308.9
24	उत्तर प्रदेश	1123.46
25	उत्तराखंड	144.37
26	पश्चिम बंगाल	1363.73
सकल योग		**14209.82**

*** सुनवाई के विभिन्न चरणों के तहत मामले में परिवर्तित आवेदनों में शामिल राशि।**